कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/मा.चि./5459 भोपाल, दिनांक 18/10/07

प्रति,

1. समस्त क्षेत्र संचालक (टाईगर रिजर्व)
2. समस्त संचालक (राष्ट्रीय उद्यान)
3. वन संरक्षक,
   उज्जैन/ग्वालियर/भोपाल/सागर।

विषय: राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमति।

सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/कोर्टकेस/वि.खा./1883 दिनांक 29.9.2007.

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र सलग्न प्रेषित है। माननीय सर्वोच्च नयायालय द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 टी.एन. गोदावर्मन विरुद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य तथा दिनांक 14.2.2000 को आदेश जारी करते हुए समस्त प्रकार की विकास गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, जिसके कारण इन क्षेत्रों में विकास कार्य लगभग रुक से गए थे। पूर्व में दिनांक 25.11.2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रबंध योजना में प्रावधानित कार्यों को कतिपय शर्तों के अधीन कराये जाने की अनुमति दी गई थी। आई.ए. क्रमांक 1220 इन आई.ए. क्रमांक 548 इन डब्ल्यू.पी. (सिविल) 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिनांक 14.9.2007 को पारित किया गया है जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार की गतिविधियों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी:-

1. 4” व्यास की भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन डालना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 के.व्ही. विद्युत वितरण लाईन डालना।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा देने के लिए टेलीफोन लाईन अथवा ऑप्टिकल फाईबर डालना।

4. ग्रामीणों को पीने का पानी की सुविधा देने हेतु कुंआ, हैण्डपम्प, छोटे तालाब इत्यादि का निर्माण करना।

5. आंगनबाड़ी, शासकीय विद्यालय, शासकीय औषधालय का निर्माण करना।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के फलस्वरूप राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के राजस्व एवं वन क्षेत्रों में उपरोक्त लिखित वन विकास कार्यों की अनुमति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु वन ग्रामों में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्रों में किये जाने वाले विकास कार्यों हेतु 01 हेक्टेयर तक वनभूमि की आवश्यकता होने पर इसकी स्वीकृति संबंधित संचालक, (राष्ट्रीय उद्यान)/ वनमंडलाधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी तथा 01 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि की आवश्यकता होने पर इसका प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार को प्रेषित करना होगा।

ध्यान रहे संरक्षित क्षेत्र के अन्दर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित कार्यों को केवल शासकीय विभाग ही करा सकेंगे।

इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-5/16/2000/10-3 दिसंबर 2005 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 19.1.2006 एवं भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्र दिनांक 19.12.2005 सलग्न प्रेषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26.9.2005 के अनुरूप शासकीय परियोजनायों के द्वारा संरक्षित क्षेत्र के अन्दर वन भूमि पर माननीय सर्वोच्च नयायालय द्वारा आदेशित निर्माण कार्यों पर नेट प्रजेंट वैल्यू की वसूली इस शर्त के साथ मुक्त रखी जाती है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें उन्हें नेट प्रसेंट वैल्यु से मुक्त नहीं किया तो तत्काल एक मुश्त राशि उनके द्वारा एन.पी.वी. में जमा कर दिया जाएगा। एन.पी.वी. की राशि जमा करने से मुक्त करने के पूर्व इस आशय का उनसे लिखित वचन-पत्र प्राप्त किया जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ०क्रमांक/मा.चि./5460 भोपाल, दिनांक 18/10/07

प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व में 01 हैक्टेयर तक की वनभूमि की आवश्यकता होने पर इसकी स्वीकृति हेतु संबंधित वन मण्डल अधिकारी को प्राधिकृत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.9.2007 के तारतम्य में समस्त संचालकों तथा अभ्यारण्यों के लिए संबंधित वन मण्डल अधिकारी को अधिकृत करते हुए आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश भोपाल

<u>कार्यालय वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल</u>

पृ०क्र./मा०चि०/8653 भोपाल दिनांक/ 1/11/2007

प्रतिलिपि:- व.म.अ.सा.ओ.गंज एवं राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक
भोपाल वृत्त, मध्यप्रदेश